# प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

राज्य सरकार के राजस्व क्षेत्र की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तो) अधिनियम 1971 के प्रावधानों के अनुसार की जाती है।

इस प्रतिवेदन में राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख राजस्व प्राप्त करने वाले विभागों के राजस्व एवं व्यय की नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तो) अधिनियम 1971 के अंतर्गत की गई लेखापरीक्षा के महत्त्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में वे उदाहरण वर्णित हैं जो 2015-16 की अवधि के दौरान की गई लेखापरीक्षा जांच में सामने आए, साथ ही वे जो पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान सामने आए किन्तु विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किये जा सके थे; जहां कहीं अनिवार्य है, 2015-16 के पश्चात् की अवधि से सम्बंधित उदाहरणों को भी सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा एवं लेखा नियम 2007 तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप परिचालित की गई है।